

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक-276]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2016—आषाढ़-14, शक-1938

#### संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2016

क्र. 1524-एफ(3)20-10-दो अड़तालीस.—मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 में,—

(क) उप-नियम (1-क) में, अंक तथा शब्द “9 रुपए” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “15 रुपए” स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-नियम (2) में, शब्द “एक हजार” के स्थान पर, शब्द “एक हजार पांच सौ” स्थापित स्थापित किए जाएं;

(ग) उप-नियम (3) में, शब्द “एक हजार पांच सौ” के स्थान पर, शब्द “दो हजार पांच सौ” स्थापित किए जाएं;

(2) नियम 4 में, उप-नियम (1) में, शब्द “एक हजार” के स्थान पर, शब्द “एक हजार पांच सौ” स्थापित किए जाएं.

(3) नियम 5 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) सत्र चालू रहने की अवधि में सदस्य जिस दिन की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करेगा, उसी दिन का दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.”

(4) नियम 8 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

- “(4) कोई सदस्य, शासकीय कार्य से राज्य के बाहर यात्रा के लिए, प्राक्कलित यात्रा भत्ता देयक की 75 प्रतिशत राशि अग्रिम ले सकेगा, जिसके लिए इच्छुक सदस्य को प्रमुख सचिव, विधान सभा को उसके द्वारा विहित प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करना होगा. अग्रिम का समायोजन यात्रा भत्ता देयक में किया जाएगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्र. 1525-एफ(3)20-10-दो अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1524-एफ(3)20-10-दो अड़तालीस, दिनांक 5 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th July, 2016

No. 1524-F-(3)-20-10-II-XL-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Section 6 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Legislature Travelling Allowance Rules, 1957, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

(1) in rule 3,—

- (a) in sub-rule (1-A), for the figure and word “9 rupees”, the figure and word “15 rupees” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (2), for the words “one thousand”, the words “one thousand five hundred” shall be substituted;
- (c) in sub-rule (3), for the words “one thousand five hundred”, the words “two thousand five hundred” shall be substituted;

(2) in rule 4, in sub-rule (1), for the words “one thousand”, the words “one thousand five hundred” shall be substituted.

(3) in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) During the course of a session a member shall sign in the attendance register of the day, he shall be entitled to get daily allowance for that day only.”

(4) in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(4) Any member may get 75% amount of estimated travelling allowance bill in advance for journey outside the State for Government work, for which the member shall furnish to the Principal Secretary, Vidhan Sabha, particulars in such form as may be prescribed. Adjustment of advance shall be made in travelling allowance bill.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJESH GUPTA, Addl. Secy.